



राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज. जयपुर

क्रमांक :-ई-18/एम/अ.का.भ./2018/

दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(4)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 में उल्लेखित प्रावधानुसार श्री बिडदी चन्द, सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ (चूरु) को अपने आवंटित कार्य के साथ-साथ कनिष्ठ लेखाकार का कार्य करने के फलस्वरूप दिनांक 21.10.2016 से 12.04.2017 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त कार्यभत्ता स्वीकृत किया जाता है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :-ई-18/एम/अ.का.भ./2018/3525

दिनांक : 09/01/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ (चूरु)।
2. श्री बिडदी चन्द, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को सूचनार्थ।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर